भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 634**

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

**नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 का कार्यान्वयन**

**634. श्री अविनाश पांडे :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने सहित इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसरण में किन-किन राज्यों ने नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया है तथा इस प्रकार गठित प्रत्येक कोर में पदों की संख्या कितनी है;

(ग) किन-किन राज्यों ने अभी तक नागरिक सुरक्षा कोर का गठन नहीं किया है एवं इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उपरोक्त अधिनियम में सुधार तथा संशोधन करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

**(क) : नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 पूरे भारत पर लागू है तथा इसमें किसी शत्रुतापूर्ण हमले, चाहे वह वायु, भूमि, समुद्र अथवा अन्य स्थानों से किया गया हो, के विरुद्ध भारत अथवा इसके किसी भी भू-भाग में किसी व्यक्ति, संपत्ति, स्थान अथवा वस्तु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अथवा इस प्रकार के हमले को पूर्णत: अथवा उसके प्रभाव की आंशिक रूप से रोकथाम करने के लिए किया गया कोई भी उपाय, जो वास्तविक आक्रमण न हो, चाहे इस प्रकार का उपाय इस प्रकार के हमले से पूर्व, उसके दौरान, उस समय अथवा उसके बाद किया गया हो अथवा किसी आपदा से पूर्व, उसके दौरान, उस समय अथवा उसके बाद आपदा-प्रबंधन के प्रयोजन से किया गया कोई उपाय शामिल है। अधिनियम के अंतर्गत नियम और विनियम तैयार कर लिए गए हैं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा कार्यान्वयन किए जाने हेतु इन्हें जारी किया गया है।**

**(ख) : नागरिक सुरक्षा कोर गठित करने वाले राज्यों तथा प्रत्येक की लक्षित नफरी का ब्यौरा अनुलग्नक-। के रूप में संलग्न है।**

(ग) : जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अब तक नागरिक सुरक्षा कोर स्थापित नहीं किए हैं, उनके नाम हैं, अरुणाचल प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, तेलंगाना और तमिलनाडु। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नागरिक सुरक्षा को मुख्यधारा में लाने संबंधी केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में 291 करोड़ रु. के साथ अनुमोदित की गई थी , ताकि देश में नागरिक सुरक्षा का ढांचा सुदृढ़ हो सके तथा आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी हो सके। यह योजना, राज्य योजनागत निधियों में सम्मिलित की जा चुकी है। अब नागरिक सुरक्षा कोर का गठन करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऊपर है।

(घ) से (च) : जी, नहीं। नागरिक सुरक्षा कोर की प्राथमिक भूमिका बनाए रखते हुए अतिरिक्त भूमिका के तौर पर आपदा प्रबंधन को शामिल करने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 को वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था।

****

अनुलग्नक-I के पृष्ठ 1 का 1
राज्य सभा अता० प्र० सं० 634

नागरिक सुरक्षा कोर गठित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा उनकी लक्षित नफरी

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | लक्षित नफरी |
|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 907 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 72823 |
| 3. | असम | 22335 |
| 4. | बिहार | 14858 |
| 5. | चंडीगढ़ | 3578 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 3600 |
| 7. | दिल्ली | 90270 |
| 8. | गोवा | 2120 |
| 9. | गुजरात | 124059 |
| 10. | हरियाणा | 15094 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 26149 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 33366 |
| 13. | झारखंड | 11151 |
| 14. | कर्नाटक | 97740 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 40288 |
| 16. | महाराष्ट्र | 146790 |
| 17. | मेघालय | 38403 |
| 18. | नागालैंड | 23300 |
| 19. | ओडिशा | 20076 |
| 20. | पंजाब | 67201 |
| 21. | राजस्थान | 59924 |
| 22. | सिक्किम | 59 |
| 23. | त्रिपुरा | 4320 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 116392 |
| 25. | उत्तराखंड | 3614 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 275610 |

---